(आज दिनांक २०/२-/-/२)----- को घोषित)

अारोपी को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हींकल एक्ट की धारा 3/18/1979 132/1979 140 के भिर्म जिस विचार का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध उहराया जाता है। तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध उहराया जाता है। वण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अगिलेख पर कोई वृद्ध दोषसिद्ध अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अप गध की प्रकृति को मोटर व्हींकल एक्ट की धारा अप्राप के अरोपी के सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं कमशः राशि रूपये 260 के अर्थदण्ड से दण्टित किया जाता है।

03. अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दशा में अभियुक्त को की दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे।

04. जप्तशुदा सम्पत्ति वाहन की दौराया जाये।

मेरे निदंशन पर टंकित

A. Qupta

Judicial magistrate first class, Gohad Dist.Bhind (M.P)